

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-8
सं० /2015/120(120)/XXVII(8)/2007
देहरादून:: दिनांक:: 23 जुलाई, 2015

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं० 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 01 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, मूल्य वर्धित कर अधिनियम की अनुसूची-1 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

संशोधन

अनुसूची-1 के क्रमांक 81 पर विद्यमान प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित एक नयी प्रविष्टि 82 जोड़ दी जायेगी; अर्थात्-

क्र०सं०	माल का विवरण	कर की दर
82	मंडुवा, चौलाई(अमारान्थ) एवं उनके उत्पाद	करमुक्त

(राकेश शर्मा)

अपर मुख्य सचिव।

सं० 438/2015/120(120)/XXVII(8)/2007 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3- भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 4- सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।
- 5- एन०आई०सी०
- 6- गार्ड फाईल हेतु।

19/7/15
आवरण कार्यवाही कर

आज्ञा से,
Aeo
(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

4143
24/7/15

अपर सचिव कर
उत्तराखण्ड शासन

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. ⁴³⁸2015/120(120)/XXVII(8)/2007 dated 23 July, 2015 for general information.

**Government of Uttarakhand
Finance Section-8**

No. ⁴³⁸2015/120(120)/XXVII(8)/2007

Dehradun :: Dated: : 23 July, 2015

Notification


WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to allow, with effect from the date of publication of this notification in Gazette, the following amendment in Schedule-I of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005-

Amendment

In Schedule-1, after the existing entry at serial no. 81, the following new entry 82 shall be added; namely-

sl.no.	Description of Goods	Rate of tax
82	Mandua, Chaulai(Amaranth) and their products	Exempt


(Rakesh Sharma)
Additional Chief Secretary